

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक- पी0पी0एम0-31/2017- 3804 /कृ0, पटना दिनांक 25-09-2017
प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।0

विषय - राज्य के 2 जिले यथा-मुजफ्फरपुर एवं सिवान के कुल 816.12 हे0 में लवणीय एवं क्षारीय भूमि के उपचार हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना Reclamation of Problem Soil अन्तर्गत कुल 499.67 लाख (चार करोड़ निनानवे लाख सडसठ हजार) रु0 (केन्द्रांश 299.802 लाख एवं राज्यांश 199.868 लाख रु0) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में विमुक्त 149.90 लाख रुपये तथा समानुपातिक राज्यांश 99.93 लाख रुपये कुल 249.83 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य के 2 जिले यथा-मुजफ्फरपुर एवं सिवान के कुल 816.12 हे0 में लवणीय एवं क्षारीय भूमि के उपचार हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना Reclamation of Problem Soil अन्तर्गत कुल 499.67 लाख (चार करोड़ निनानवे लाख सडसठ हजार) रु0 (केन्द्रांश 299.802 लाख एवं राज्यांश 199.868 लाख रु0) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में विमुक्त 149.90 लाख रुपये तथा समानुपातिक राज्यांश 99.93 लाख रुपये कुल 249.83 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत Reclamation of Problem Soils एक उपयोजना शुरू की गयी है। इस क्रम में राज्य के लवणीय तथा क्षारीय समस्या से ग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु प्रस्तुत योजना स्वीकृत की जाती है। योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार की मार्गदर्शिका एवं राज्य सरकार द्वारा प्रचारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप की जायेगी। निदेशक, भूमि संरक्षण के द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका/कार्यान्वयन अनुदेश संबंधित को प्रचारित किया जायेगा।

3. कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार के पत्रांक-F.No.11-4/2016-NRM.1 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा RPS योजना हेतु 499.67 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.01.2017 द्वारा योजना हेतु 149.9 लाख रुपये केन्द्रांश की राशि विमुक्त किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या-11-1/2016-NRM.1 दिनांक 02.05.2017 द्वारा उक्त राशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए revalidate किया गया है। तत्काल इसके अनुरूप राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में अवशेष राशि की विमुक्ति होने पर तथा इसके समानुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

4. प्रस्तुत योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 19.06.2017 को आयोजित बैठक में

निर्धारित शर्तों के अधीन योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा स्वीकृति के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में 499.67 लाख रुपये की लागत से कार्य योजना में स्वीकृति दी गयी है। उक्त योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2016-17 में नहीं किया जा सका। तदनुसार इसे कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 में स्वीकृत किया जाता है।

6. योजना का कार्यान्वयन मुजफ्फरपुर एवं सीवान जिला में किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से 816.12 हे० में क्षारीय एवं लवणीय समस्या से ग्रस्त भूमि के उपचार का कार्य संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार की जायेगी।

7. इस योजना का कार्यान्वयन मार्गदर्शिका के अनुसार सम्बंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके लिए उन्हे निदेशक भूमि संरक्षण द्वारा राशि आवंटित की जायेगी।

8. योजनान्तर्गत बजट शीर्षवार उपबंधित एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है,
(राशि लाख रुपये में)


बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	तत्काल विकलनीय
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)			
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग सं०-1, उपशीर्ष-0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401001090216, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145, विषय शीर्ष-0216.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	16600.00	248.836	124.42
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड 01-2401007890203, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145 विषय शीर्ष-0203.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	3200.00	47.968	23.98
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1, उपशीर्ष-0231-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड 01-2401007960231, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145 विषय शीर्ष-0231.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200.00	2.998	1.50
योग	20000.00	299.802	149.90
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)			
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग सं०-1 उपशीर्ष-0316-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401001090316, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145, विषय शीर्ष-0316.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	14525.00	165.890	82.94
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग सं०-1 उपशीर्ष-0303-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड-01-2401007890303, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145, विषयशीर्ष-0303.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	2800.00	31.979	15.99
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1 उपशीर्ष-0331-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड 01-2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषय शीर्ष-0331.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	175.00	1.999	1.00
योग	17500.00	199.868	99.93
सकल योग	37500.00	499.670	249.83

9. वित्त विभाग की संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या-पी0पी0एम0-31/2017 के पृ0 सं0-09/टि. पर दिनांक 13.09.2017 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-पी0पी0एम0-31/2017 के पृ0 सं0-10/टि0 पर दिनांक- 20.09.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी0पी0एम0-31/2017 3804 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09-2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी0पी0एम0-31/2017 3804 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी0पी0एम0-31/2017 3804 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09-2017

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी0पी0एम0-31/2017 3804 /कृ0, पटना, दिनांक 25-09-2017

प्रतिलिपि- माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची- 1

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना Reclamation of Problem Soil अन्तर्गत क्षारीय एवं लवणीय समस्या से ग्रस्त भूमि के उपचार की कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2017-18

(भौतिक हे० में / वित्तीय लाख रु० में)

क्र सं	जिला का नाम	लक्ष्य		प्रशासनिक व्यय (2%)	कुल परियोजना राशि	परियोजना राशि			कुल
		भौतिक (लवणीय एवं क्षारीय भूमि हे० में)	वित्तीय (@ 0.60 लाख / हे०)			सामान्य वर्ग के लिए 83 %	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16 %	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1 %	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1	सिवान	516.12	309.67	6.32	315.990	262.272	50.558	3.160	315.990
2	मुजफ्फरपुर	300.00	180.00	3.68	183.680	152.454	29.389	1.837	183.680
कुल योग		816.12	489.67	10.00	499.670	414.726	79.947	4.997	499.670

[Handwritten signatures and marks]